न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील संख्याः–205 / 11 (आरसीएमएस नं. 2011 / 00037)

1. मुरली देवी बेवा प्रभात, जाति जाट, निवासी दतावला, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

——अपीलान्ट

बनाम

1. सुन्दरलाल,
2. भगवान सहाय,
3. नन्छु,
4. बाबूलाल,
5. लालाराम पुत्रान स्व. रामचन्द्र, जाति जाट, निवासी दतावता तहसील आमेर जिला जयपुर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आमेर तहसील, आमेर, जिला जयपुर।

——रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांक 08.08.2018

अपीलार्थीया द्वारा यह अपील न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर तृतीय जयपुर के आदेश दिनांक 26.05.2011 (प्रकरण संख्या 22 / 2011) से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 76 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.05.2011 विधि विधान एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के प्रतिकूल होने के कारण निरस्तनीय है। उन्होने कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट ने अपीलान्ट के विरूद्ध जो अपील नामान्तरकरण संख्या 61 दिनांक 11.12.2010 के विरूद्ध मियाद बाहर अपील प्रस्तुत की थी जबकि रेस्पोडेन्ट को नामान्तरकरण संख्या 61 की जानकारी पूर्णरूपेण रही है क्योंकि नामान्तरकरण की पुश्त पर तीनों ही न्यायालयों के स्थगन आदेशों का हलवा है जिससे स्पष्ट है कि रेस्पोडेन्ट को नामान्तरकरण संख्या 61 की पूर्ण जानकारी थी लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी आधार के रेस्पोडेन्ट की अपील को अन्दर मियाद मानते हुये जो निर्णय दिया है, वह सरासर अवैंधानिक है। उन्होने आगे कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट द्वारा जो वाद अपीलान्ट के विरूद्ध दायर किया है उसमें अपीलान्ट ने अपने यादौत्तर में स्पष्ट किया है कि अपीलान्ट के पति प्रभात ने रेस्पोडेन्ट के हक में कोई वसीयत नही कराई है तथा जिन जमीनों को अवैंधानिक रूप से बेचाननामा कराया है उसके बाबत अपीलान्ट ने पुलिस में रिपोर्ट की है और विक्रय पत्र को निरस्त कराने हेतु सक्षम न्यायालय में चाराजोही भी की है जो जैरकार है, इन सभी तथ्यों को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रखने से महरूम वंचित करने की गरज से अपीलान्ट के विरूद्ध जानबुझकर एकतरफा कार्यवाही कराकर निर्णय प्राप्त किया है जो सरासर अवैंधानिक है एवं निरस्तनीय है।

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट ने अपीलान्ट को कोई सूचना रेस्पोडेन्ट द्वारा की गई अपील की नही देने की गरज से न तो कोई नोटिस तामील कराया और जो नोटिस की तामील चस्पानगी व लेने से इनकारी फर्जी व अवैधानिक रूप से कराई है जबकि अपीलान्ट को न तो कोई नोटिस ही दिया गया और ना ही कोई तामील कराई गई, अपीलान्ट जो कि एक बेवा है उसकी भूमि को अनावश्यक रूप से हड़प करने की नीयत से तामील की सारी प्रक्रिया को अवैधानिक रूप से करते हुये जो एकतरफा की कार्यवही अपीलान्ट के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय में की गई है और निर्णय पारित किया गया है, वह सरासर अवैधानिक है और निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि यह निंविवाद सत्य है कि अपीलान्ट मृतक प्रभात पुत्र चून्या की विवाहिता स्त्री होने से विधवा है और वही एकमात्र मृतक प्रभाती की उत्तराधिकारिणी है और प्रथम श्रेणी के वारिस के प्रतिकूल किसी अन्य को वसीयत करने का कभी कोई कारण प्रभात के द्वारा नही था सारी कार्यवाही रेस्पोडेन्ट ने फर्जी तरीके से की है जो सरासर अवैधानिक है एवं निरस्त किये जाने योग्य है। उन्होने कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट ने सहायक जिलाधीश के यहॉ से जो अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश लिया था उसमें रिकार्ड की यथास्थिति रखने का लिया था जिसका राजस्व अपील अधिकारी ने बहाल रखा है लेकिन राजस्व मण्डल आमेर ने दिनांक 21.10.2010 को अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की क्रियान्विति को स्थगित किया है अर्थात मृतक प्रभात के जायज वारिस के नाम रिकार्ड में इन्द्राज होने को नही रोका है बल्कि इन्द्राज के आधार पर कोई बेचान न करे इसलिये न्यायहित में विक्रय न करने का जरूर आदेश दिया है इससे स्पष्ट है कि माननीय राजस्व मण्डल की आज्ञा की मंशा जायज वारिस का नाम रिकार्ड में अमल कराने का रही है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व मण्डल की आज्ञा दिनांक 21.10.2010 को यथास्थिति का आदेश मानकर जो निर्णय दिया है, वह सरासर अवैधानिक है एवं निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 26.05.2011 की जानकारी दिनांक 24.08.2011 को विपक्षीगण द्वारा ग्राम में यह हल्ला करने पर की मुरली के नाम हुये नामान्तरकरण को निरस्त करा दिया तो अपीलान्ट दिनांक 26.08.2011 को अपने अभिभाषक से आकर मिली और जब जॉच की तो अतिरिक्त जिलाधीश तृतीय की आदेश दिनांक 26.05.2011 की सर्वप्रथम वास्तविक जानकारी हुई और उसी दिन नकल के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया और दिनांक 29.08.2011 को नकल प्राप्त हुई और नकल मिलते ही कानूनी सलाह लेकर जानकारी से अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत की गई तथा उक्त विलम्ब को क्षमा किये जाने हेतु अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम अलग से पेश किया गया है, जो स्वीकार योग्य होने से स्वीकार फरमाया जावें एवं अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर आज्ञा अतिरिक्त तिला कलक्टर तृतीय जयपुर दिनांक 26.05.2011 को निरस्त किया जाकर नामान्तरकरण संख्या 61 दिनांक 11.12.2010 को बहाल फरमाया जावें।

सभागीय आयुक्त
जयपुर

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट के पिता स्व. रामचन्द्र एवं अपीलान्ट के पति प्रभात पुत्र चुन्या सगे भाई थे, प्रभात दिल की बीमारी का मरीज था उसने अपने ईलाज में करीब 10 लाख रूपये से अधिक पैसा खर्च कर दिया था, उसने ईलाज में जो रूपया खर्चा किया उसे चुकाने के लिऐ अपनी जमीन का बेचान मिन रेस्पोडेन्ट को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र किया था, शेष वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 164/205 रकबा 0.54 हैक्टयर, खसरा नम्बर 165/202 रकबा 0.44 हैक्टयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.98 हैक्टयर ग्राम दत्तावता तहसील आमेर में छोड़ी थी, प्रभात पुत्र चुन्या ने अपने मरने से पूर्व अंतिम समय में एक वसीयतनामा रेस्पोडेन्ट के हक में दिनांक 06.04.2002 को अपने हिस्से की उक्त भूमि को दो गवाहान जयराम पुत्र गोपीराम व प्रभात पुत्र पोखर जाट के समक्ष तहरीर व तकमील कर नोटेरी पब्लिक से तस्दीक करवायी थी जिसमें किसी प्रकार की संशय या त्रुटि नही थी चूँकि वसीयतनामा प्रभात पुत्र चुन्या ने गॉव के पॉच व्यक्तियो के समक्ष ऐलानियॉ तौर पर किया था, प्रभात पुत्र चुन्या की मृत्यु दिनांक 05.07.2006 को हुई थी, उसकी सेवा सुश्रुषा अन्त समय तक रेस्पोडेन्ट ने की थी इस बात की जानकारी अपीलान्ट को भंली–भॉति थी, रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलान्ट की सेवा–सुश्रुषा आज तक की जा रही है किन्तु अपीलान्ट के भाई व भतीजो द्वारा बरगलाने पर अपने पीहर कुछ समय के लिऐ चली गयी तथा अपनी समस्त चल–अचल सम्पति रूपये, पैसे, जैवरात, गाय, भैंस कृषि का सामान आदि अपने भाई को दे दिया तथा अपीलान्ट व उसके भाई ने दिनांक 13.05.2007 को ऐलानियॉ धमकी दी कि वो वादग्रस्त भूमि को अपने नाम लगवाकर भूमि का बेचान करेंगे तथा रेस्पोडेन्ट्स के हक में किये गये विक्रय पत्रों को निरस्त करवायेगे जिससे रेस्पोडेन्ट ने सक्षम न्यायालय में दावा घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा पेश किया जिसमें सहायक कलक्टर आमेर द्वारा दिनांक 20.10.2008 को अपीलान्ट के खिलाफ अस्थायी निषेधाज्ञा इस अमर की सादर फरमायी थी कि अप्रार्थी/अपीलान्ट वादग्रस्त भूमि के मौके एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति ताफैसला दावा बनाये रखे जिसकी अपील अपीलान्ट ने राजस्व अपील अधिकारी जयपुर के यहॉ पेश की थी, अपील न्यायालय द्वारा भी अपने निर्णय दिनांक 17.08.2010 के द्वारा प्रारम्भिक न्यायालय ने निर्णय दिनांक 20.10.2008 को बहाल रखते हुए पुष्टि की तत्पश्चात् अपीलान्ट ने राजस्व मण्डल अजमेर में निगरानी प्रार्थना पत्र पेश कर फॉरमल तौर पर यथास्थिति के आदेश प्राप्त किये जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने बोर्ड के निणर्य का गलत विवेचन करते हुए राजस्व कैम्प में नामान्तरकरण संख्या 61 दिनांक 11.12.2010 गैर कानूनी तरीके से तथा गलत हथकण्डो के आधार पर अपने नाम खुलवा लिया जिसके विरूद्ध मिन रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में अपील पेश की जिसे अधीनस न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट की अपील को विधि सम्मत मानते हुए अवैध नामान्तरकरण सख्या 61 को सही खारिज किया है जिसके विरूद्ध अपीलान्ट की हस्तगत अपील बिना किसी आधार के सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने कथन किया है कि नामान्तंरकरण संख्या 61 दिनांक 11.12.2010 विधि विरूद्ध, तथ्यों के विपरित एकपक्षीय एवं रूयेदाद

P.T.O.

संभागीय आयुक्त

मिसल होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सही खारिज किया गया है। उन्होने आगे कथन किया है कि तहसीलदार आमेर ने पटवारी हल्का एवं गिरदावर हल्का की रिपोर्ट पर ध्यान न देकर आरबीट्रेरी एवं एकपक्षीय तौर पर बिना पंचायत में जॉच करवाये बिना नामान्तरकरण तस्दीक करने में नियमों की जानबुझकर घौर अवहेलना की है जबकि नामान्तरकरण संख्या 61 ग्राम दत्तावता पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 08.05.2007 को भरा गया था जिस पर पटवारी हल्का की स्पष्ट रिपोर्ट थी कि न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर के निर्णय दिनांक 20.10.2008 को रिकार्ड एवं मौका बाबत निर्णय पारित किया है तथा राजस्व अपील अधिकारी जयपुर द्वारा भी अपील अस्वीकार कर स्थगन आदेश यथावत रखा है अर्थात पुष्टि की है तथा राजस्व मण्डल अजमेर की एकल पीठ द्वारा दिनांक 21.08.2010 को स्थगित किया है तथा गिरदावर हल्का ने अपनी मनमर्जी से यह रिपोर्ट कर दी कि राजस्व मण्डल की एकल पीठ द्वारा स्थगन हटा दिया है, ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्ट को सुनवाई का अवसर दिया जाना न्यायहित में था किन्तु अनुचित हथकण्डो से अपीलाधीन नामान्तरकरण अवैध रूप से तस्दीक कर दिया जो खारिज किये जाने योग्य है। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश की जानकारी अपीलान्ट को पूर्व से ही रही है लेकिन अपीलान्ट द्वारा अपने भाई व भतीजों के बहकावे में आकर रेस्पोडेन्ट को हैरान व परेशान करने की गरज से मियाद बाहर अपील पेश की है, जो मियाद के बिन्दू पर ही खारिज योग्य है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित नामान्तरकरण संख्या 61 को विधि विरूद्ध एवं बावजूद न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने के पश्चात् तस्दीक करने के कारण खारिज किया गया है क्योंकि जब विवादित भूमि के बाबत पक्षकारान के मध्य रेवेन्यू व सिविल वाद न्यायालयों में चल रहे है तो ऐसी स्थिति में नामान्तरकरण की कार्यवाही स्थगित की जानी चाहिये थी क्योंकि नामान्तरकरण के द्वारा किसी के हक अधिकार तय नही होते है नामान्तरकरण केवल मात्र एक फिस्कल प्रोसिडिग्स है, उक्त भूमि का राजस्व लगान व कल्टीवेशन मिन अपीलान्ट ही देते आ रहे है, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तरकरण तस्दीक कर दिये जाने मल्टीप्लीसिटी ऑफ प्रोसिडिग्स अर्थात मुकदमों का अंम्बार पक्षकारों के मध्य लग जायेगा, तहसीलदार आमेर का निर्णय न्यायिक के सिद्धान्तो के विपरित होने से खारिज किये जाने योग्य है। उन्होने कथन किया है कि अपीलान्ट का यह तर्क कतई गलत है कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयपुर जिला जयपुर द्वारा मिन रेस्पोडेन्ट के हक में किये गये विक्रय पत्रो एवं वसीयतनामा आदि को अवैध एवं निरस्त कर दिया है क्योंकि मिन रेस्पोडेन्ट ने जिला न्यायाधीश के निर्णय के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय बैंच जयपुर में अपील कर रखी है जिसमें उक्त निर्णय व डिक्री की क्रियान्विति स्थगित की गई है जिसकी जानकारी अपीलान्ट को भी है किन्तु उन्होने न्यायालय को गुमराह करते हुए गलत तर्क पेश किया है चूँकि जिला एवं सत्र न्यायाधीश का निर्णय अभी अंतिम रूप से प्रभावी नही हुआ है, ऐसी स्थिति में अतिरिक्त जिला कलक्टर तृतीय जयपुर का अपीलाधीन निर्णय न्यायोचित होने से बहाल रखे जाने योग्य है। अतः अतिरिक्त जिला कलक्टर

संभागीय आयुक्त
जयपुर

तृतीय जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय विधि सम्मत होने से पुष्टि किया जाना पक्षकारान के न्यायहित में है तथा अपील अपीलान्ट सारहीन व बलहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष क बहस पर मनन किया गया। अपील प्रस्तुत होने में हुऐ विलम्ब के सम्बन्ध में अपर न्यायालयों की अनेकों ऐसी नजीरें है जिनमें अपील प्रस्तुत करने में हुऐ विलम्ब को कण्डोन किया गया है, ऐसी स्थिति में अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुए एवं विलम्ब के सम्बन्ध में नरमी का रूख अपनाते हुए अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि वादग्रस्त आराजी अपीलान्ट के पति प्रभात पुत्र चुन्या के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा वादग्रस्त आराजी के खातेदार प्रभात के नाऔलाद फौत होने पर खातेदार की एकमात्र प्रथम श्रेणी की वारिस उसकी पत्नी मुरली होने से तहसीलदार आमेर द्वारा खातेदार प्रभात की विरासत का नामान्तरकरण संख्या 61 उसकी पत्नी अपीलान्ट मुरली के नाम दिनांक 11.12.10 को स्वीकार किया गया है जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि प्रतीत नही होती है इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों पर बिना गौर किये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.05.2011 से विरासत के नामान्तरकरण संख्या 61 दिनांक 10.12.2010 को खारिज किया गया है, जो विधि विरूद्ध होने से उसे उचित नही ठहराया जा सकता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर तृतीय जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.05.2011 को निरस्त किया जाता है तथा नामान्तरकरण संख्या 61 वाके ग्राम दत्तवता तहसील आमेर पर तहसीलदार आमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.12.2010 को बहाल किया जाता है।

(टी0रविकान्त)
संभागीय आयुक्त
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 08.08.2018 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।